06/08/25

पत्रावली पेश हुई।

वकील वादीया उप. / पैरोकार
सरकार अनु. / वकील वादीया
ने पूर्व मे जवाब का अवसर
दिए जाने के बावजूद आज
जवाब पेश नही करने से
पैरोकार सरकार का जवाब
बन्द कर एक तरफा बहस
सुनने का निवेदन किया।
वकील वादीया के निवेदन
को स्वीकार किया जाकर
पैरोकार सरकार का जवाब
बन्द किया जाता है
हस्तगत प्रा. पत्र पर एक
तरफा बहस सुनी गई।
वकील वादीया ने प्रार्थना
पत्र मे वर्णित तथ्यो को
दोहराते हुए निवेदन किया
कि मौजा टिकारिया मे प्रार्थीया
के स्वामित्व की भूमि आराजीयात
1222/299 रकबा 0.84 है. स्थित है

xxx लगातार

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

(नियम 26)

अदालत ______ मुकाम ______

______ बनाम ______

किस्म मुकदमा प्रा.पत्र नं. 327 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
(सीनू देवल) [illegible] उपखण्ड अधि[illegible] [illegible]	उक्त कृषि आराजीयात पूर्व खेता डालू s/o उदा डांगी रहे पूर्व स्थापित ख.नं. 286/12 जिसके नया नम्बर 299 कायम हुआ उक्त आराजीयात पर प्रार्थीया ने दिनांक 07.04.2004 को कब्जा प्राप्त किया। वर्तमान में प्रार्थीया की उक्त सम्पूर्ण आराजीयात 1.31 हैं. पर काबिज होकर काश्त कर रही है अतः प्रार्थीया का प्रा.पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन कर योग्य अधिवक्ता प्रार्थीया की बहस	xx [illegible] (सीनू देवल) [illegible] अधिकारी [illegible]

पर चिन्तन व मनन किया प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेज के अवलोकन से यह विदित हुआ है कि प्रार्थिया ग्राम ठिकरिया की प्रश्नगत आराजी सं. 286/12 के सम्बन्ध मे प्रा.पत्र प्रस्तुत किया लेकिन उक्त साबिक आराजी के नए नम्बर क्या बने थे उसके सम्बन्ध मे न कोई दस्तावेज और न ही कोई मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत किए जिससे साबिक आराजी नं. 286/12 के नए नम्बर क्या बने उसकी पुष्टि हो सके गौरतलब है कि वकील प्रार्थिया ने अपने प्रा.पत्र व बहस निवेदन किया कि ग्राम ठिकरिया की आ.नं. 299 का सम्पूर्ण रकबा 1.31 है. किस्म बिलानाम होकर सम्पूर्ण आराजीयात पर प्रार्थिया का कब्जा है। प्रार्थिया द्वारा कहने मात्र से अथवा कयास लगाने से कि उक्त

(सीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
विवादग्रस्त आराजीयात पर कब्जा होने की पुष्टि नहीं होती है। उक्त बिन्दु स्थायी स्थगन के उपरान्त निर्णित किया जावेगा। उक्त वर्तमान में प्रश्नगत आराजी सं. 299 का विपक्षी सं. (1) अभिलिखित खातेदार होकर बिलानाम दर्ज रेकार्ड है ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में न होना विपक्षी सं. 01 के पक्ष में है हमारे विनम्र मतानुसार खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित करना विधि सम्मत नहीं है अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में न होने से सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीया के पक्ष में होने का सवाल ही नहीं उठता है उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में प्रार्थीया का प्रा. पत्र बाबत 212 RTA ग्राम ठिकारिया की आ. सं 299 के सम्बन्ध में खारीज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो	(बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)